बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019–3836–––––––––– / न0वि0आ0वि0 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 का उप नियम (2) के खण्ड (1), (2), (3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे।–

"(1) नगर पंचायत के किसी वार्ड के मामले में बीस हजार रूपये;

(2) नगर परिषद् के किसी वार्ड के मामले में चालीस हजार रूपये;

(3) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 4,000–10,000 हो, साठ हजार रूपये;

(4) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 10,001–20,000 हो, अस्सी हजार रूपये।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/7/2019
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019 3836 ....न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक–23/7/19

प्रतिलिपि :–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

18/7/2019
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019 3836 ....न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक–23/7/19

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार पटना / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार / मुख्य सचिव, बिहार / राज्य निर्वाचन आयोग / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् / सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2019
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05/न0वि0–निर्वाचन–04/2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 23.7.19
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05/न0वि0–निर्वाचन–04/2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 23.7.19
प्रतिलिपि :–श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–05/न0वि0–निर्वाचन–04/2019 3837 /न0वि0एवंआ0वि0। बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

Patna, Dated- 23/7/19

No.-05/न0वि0–निर्वाचन–04/2019–3836 In exercise of the powers conferred by section 419 of the Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar make the following Rules to amend the Bihar Municipal Election Rules, 2007 :-

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Bihar Municipal Election (Amendment) Rules, 2019.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come in force from the date of its publication in the official gazette.
2. **Clause (1), (2), (3) and (4) of Sub-rule (2) of rule 100 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007 shall be substituted by the following :-**

"(1) Twenty thousand Rupees in case of any ward in the Nagar Panchayat;

(2) Fourty thousand Rupees in case of any ward in the Nagar Parishad;

(3) Sixty thousand Rupees in case of any ward in the Municipal Corporation, whose population is 4,000-10,000 ;

(4) Eighty thousand Rupess in case of any ward in the Municipal Corporation, whose population is 10,001-20,000."

By the order of the Governor of Bihar

18/7/2019

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary to Govt.

ज्ञापांक–05/न0वि0–निर्वाचन–04/2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 23/7/19

प्रतिलिपि :–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक–23।7।19

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार पटना / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार / मुख्य सचिव, बिहार / राज्य निर्वाचन आयोग / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् / सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक–23।7।19

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / न0वि0–निर्वाचन–04 / 2019 3836 न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक–23।7।19

प्रतिलिपि :–श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।